न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 28/2022

अपीलार्थी –	*बनाम*	उत्तरदाता –
पदमाराम पुत्र लूम्भाराम जाति जाट निवासी खोथो की ढाणी, भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.04.2021 जो विभागीय प्रकरण सं. 57/2020 में जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.07.2022

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 57/2020 सरकार बनाम पदमाराम में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलांट पदमाराम पुत्र लूम्भाराम, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम भुरटिया तहसील बाड़मेर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा दिनांक 13.03.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं का स्टॉक शून्य पाया गया जबकि पोस मशीन में 2662 किग्रा दर्ज था और अप्रैल माह का आमद 7668 किग्रा था जो कुल 10330 किग्रा होता है। इस प्रकार [illegible] को राशन सामग्री का वितरण नहीं करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9, 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 22.04.2022 को प्रस्तुत की है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलांट के नाम ग्राम भुरटिया हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी द्वारा एकपक्षीय जांच कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही प्रस्तुत दस्तावेजों का गलत विवेचन करते हुए निरस्त कर दिया गया है जो एक गम्भीर त्रुटि है। राजनैतिक द्वेषवश कुछ विरोधियों द्वारा झूठी मनगढत शिकायत करने पर उत्तरदाता ने अपीलांट के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को रिपोर्ट की गई जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना मौके पर आये एवं जांच किये शिकायतकर्ताओं से मिलावट कर झूठी अनियमितताएं दर्शाकर उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है। मौके पर अपीलांट द्वारा अपनी उचित मूल्य की दुकान के समस्त दस्तावेज एवं गवाहों के बयानात आदि पेश किये गये थे फिर भी प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा उस पर कोई ध्यान न देकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है जो कानूनन गलत है। प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पुलिस थाना नागाणा बाड़मेर में सी आर नंबर 23 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज करवाया गया था। इस पर पुलिस थाना नागाणा द्वारा विस्तृत जांच करने के बाद अपीलांट पदमाराम के उचित मूल्य की दुकान के गोदाम से राशन के गेहूं का गबन होना नहीं पाया गया था। इस बाबत उक्त प्रकरण में एफआर अदम वकू में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर में पेश की गई जिस पर परिवादी द्वारा उक्त एफआर में कोई उजर प्रकट नहीं किया गया। इस पर श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा दिनांक 27.07.2020 को एफआर स्वीकार की गई जिससे [illegible] द्वारा अपीलांट पर लगाये समस्त आरोप बेबुनियाद व झूठे हैं। [illegible] तथ्यों को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा [illegible]भूति राशि निरस्त करने का उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाते हुए अपीलांट के उचित मूल्य की दुकान के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 को पारित किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 16.06.2021 को प्राप्त की गई। उस दौरान कोविड–19 के चलते अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑफ रेकर्ड एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत रिट पिटिशन संख्या 665/2021 के आदेश दिनांक 23.03.2020 पर suo moto writ petition (c) No. 3DF2020 के तहत प्रस्तुत अपील लिमिटेशन के अन्तर्गत है लिहाजा यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत है। जानकारी के अभाव में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

6. प्रकरण के जवाब मे रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि अपीलांट के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान से समय पर राशन सामग्री का पोश मशीन में अंकित विवरण अनुसार स्टॉक मिलान नहीं होना एवं खाद्यान्न का उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना पाया गया, उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री का वितरण नहीं करने जैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9, 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 पारित किया गया है, जो सही एवं उचित है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील दिनांक 22.04.2022 को मयाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा मयाद के संबंध में प्रकट तथ्य युक्तियुक्त एवं मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की परिस्थितियों के मध्यनजर जिस अवधि के लिए मयाद को क्षम्य किया गया है उसके पश्चात भी अपीलांट द्वारा यह अपील देरी से प्रस्तुत की गई है लिहाजा अपीलांट की अपील मयाद एवं मैरिट पर खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पदमाराम पुत्र लूम्भाराम, उचित मूल्य दुकानदार भुरटिया, तहसील बाड़मेर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 13.03.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समय पर राशन सामग्री का उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना पाया गया, उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री का वितरण नहीं करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9, 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने की दिनांक 08.04.2021 को स्वयं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर अपीलार्थी की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित हैं। ऐसे में अपीलार्थी का यह कहना कि उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई, कतई मानने योग्य नहीं है। अपीलांट ने यह अपील दिनांक 22.04.2022 को प्रस्तुत की है तथा मयाद के संबंध में प्रकट तथ्य युक्तियुक्त एवं मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की परिस्थितियों के मध्यनजर जिस अवधि के लिए मयाद को क्षम्य किया गया है उसके पश्चात भी अपीलांट द्वारा यह अपील देरी से प्रस्तुत की गई है लिहाजा अपीलांट की अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 57/2020 में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. आदेश आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:26 IST
Reason: SelfAttested